**समक्षः– द्वितीय मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण पेण्ड्रारोड, जिला–बिलासपुर (छ०ग०)**
**(पीठासीन न्यायाधीश–श्रीमती ज्योति अग्रवाल)**

**CNR NO.–CGBI110003972024**
**मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण क्रमांक–16/2024**
**संस्थित दिनांक–27/03/2024**

01–अनीषा कोल पति स्व० अजय कुमार, उम्र–23 वर्ष,
निवासी– ग्राम पतगवां, तहसील–पेण्ड्रा,
जिला–गौरेला पेण्ड्रा मरवाही (छ०ग०)
02–अमृत प्रसाद कोल पिता रघुवर, उम्र–60 वर्ष,
03–विदेशरीवती पति अमृत प्रसाद कोल, उम्र– 51 वर्ष,
उक्त दोनों निवासी– ग्राम धौरामुडा, थाना–पसान,
जिला–कोरबा (छ०ग०) ..........................**आवेदकगण**

**–विरूद्ध–**

01– बादल श्रीवास पिता रतनलाल श्रीवास,
निवासी– रामपुर, थाना–करतला, जिला–कोरबा (छ०ग०)
हालमुकाम बिजली सब–स्टेशन बालमपुर,
थाना–पसान, जिला–कोरबा (छ०ग०)
02–आई०सी०आई०सी०आई० लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी,
आई०सी०आई०सी०आई० लोम्बार्ड हाउस, 414 वीर सावरकर
मार्ग मुम्बई 400025 (महाराष्ट्र) .......................**अनावेदकगण**

---

**आवेदकगण द्वारा – श्री विनय पाण्डेय अधिवक्ता ।**
**अनावेदक क्र०–01 – एकपक्षीय।**
**अनावेदक क्रमांक–02 द्वारा – श्री संजय गुप्ता अधिवक्ता ।**

---

## –//अधिनिर्णय//–
## (आज दिनांक–10/08/2026 को घोषित )

1. आवेदक द्वारा **मोटर यान अधिनियम 1988 की धारा–166** के अन्तर्गत दिनांक–27/09/2023 को समय 21:00 बजे, स्थान ग्राम–बालमपुर सब–स्टेशन के सामने मेनरोड, थाना–पसान, जिला–कोरबा (छ०ग०) क्षेत्रांतर्गत में वाहन मोटर सायकल पैशन क्रमांक CG–12 AZ–6934 को उपेक्षा एवं उतावलेपन से चलाते हुए मृतक को ठोकर मारकर एक्सीडेंट किया जिससे मृतक अजय कुमार कोल की मृत्यु हो जाने के कारण **क्षतिपूर्ति राशि–1,01,50,000/– (एक करोड़ एक लाख पचास हजार रूपए)** दिलाये जाने हेतु प्रस्तुत किया है ।

2. प्रकरण में निर्विवादित तथ्य यह है कि दुर्घटना कारित प्रश्नगत वाहन मोटर सायकल पैशन क्रमांक CG–12 AZ–6934 का चालक/वाहन स्वामी अनावेदक क्रमांक–01 है । उक्त वाहन का समस्त दायित्वों के अधीन अनावेदक क्रमांक 02 बीमा कंपनी के द्वारा बीमित है ।

3. **आवेदक द्वारा प्रस्तुत क्षतिपूर्ति दावा संक्षिप्त में इस प्रकार है कि** दुर्घटना दिनांक–26/09/2023 को अनावेदक क्रमांक 01 द्वारा अपनी मोटर सायकल को तेज एवं लापरवाहीपूर्वक चलाते हुए बिजली सब स्टेशन बालमपुर थाना पसान के पास मृतक अजय कुमार कोल को ठोकर मारकर एक्सीडेंट कर दिया । उक्त एक्सीडेंट से मृतक को आई चोटों के ईलाज हेतु सर्वप्रथम प्राथमिक

स्वास्थ्य केन्द्र पसान ले जाया गया । तत्पश्चात् मृतक अजय कुमार कोल को उपचार हेतु जिला चिकित्सालय गौरेला–पेण्ड्रा–मरवाही छ०ग० लेकर जाया गया। उक्त अस्पताल में मृतक का उपचार के दौरान मृत्यु हो गई थी । थाना–पसान में मर्ग कार्यवाही उपरांत अनावेदक क्रमांक 01 के विरूद्ध अपराध अंतर्गत धारा 279, 304 ए भारतीय दण्ड संहिता के तहत् अपराध पंजीबद्ध किया गया । अतः आवेदक को प्रतिकर के रूप में क्षतिपूर्ति हेतु कुल **क्षतिपूर्ति राशि–1,01,50,000/–(एक करोड़ एक लाख पचास हजार रूपए)** अनावेदकगण से संयुक्त रूप से अथवा पृथक–पृथक दिलाये जाने का निवेदन किया गया है ।

4. अनावेदक क्रमांक 01 पूर्व से एकपक्षीय होने के कारण जवाबदावा प्रस्तुत नहीं किया है ।

5. **अनावेदक क्रमांक–02 के द्वारा जवाबदावा प्रस्तुत कर स्वीकृत तथ्यों के अतिरिक्त दावा आवेदन के शेष अभिवचनों से इंकार करते हुये अभिवचन किया गया है कि** इस अनावेदक द्वारा बीमित वाहन से कोई दुर्घटना घटित नहीं हुई है । आवेदकगण के द्वारा वाहन चालक/स्वामी एवं अनुसंधान अधिकारी से सांठगांठ करके फर्जी तरीके से दुर्घटना में अंतर्वलित कराया जाकर दुर्घटना के संबंध में मिथ्या एफ०आई०आर० दर्ज कराई गई है । मृतक को आई चोटे भिन्न घटना व दुर्घटना से आई चोटें है जिससे मृतक की मृत्यु हुई है। उक्त कारण से अनावेदक क्रमांक 02 किसी भी प्रकार से क्षतिपूर्ति राशि हेतु देनदार नहीं है । अतः

अनावेदक 02 की ओर से प्रस्तुत जवाबदावा स्वीकार कर आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन सव्यय निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया है ।

**6.** प्रकरण में आवेदकगण ने अपने पक्ष के समर्थन में आवेदक साक्षी अनीषा कोल (आ०सा०–01), अमृत प्रसाद कोल (आ०सा०–02), आदित्य सेन (आ०सा०–03) का शपथपत्रीय साक्ष्य कराये है तथा दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में अंतिम प्रतिवेदन प्रदर्श ए०–01, प्रथम सूचना पत्र प्रदर्श ए०–02, अकाल एवं आकस्मिक मृत्यु की सूचना प्रदर्श ए०–03, मर्ग इंटीमेशन प्रदर्श ए०–04, नक्शा पंचायतनामा प्रदर्श ए०–05, शव परीक्षण के लिए आवेदन प्रदर्श ए०–06, शव परीक्षण प्रतिवेदन प्रदर्श ए०–07, संपत्ति जप्ती पत्रक प्रदर्श ए०–08, 09, सुपुर्दनामा आदेश प्रदर्श ए०–10 तक के दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है ।

**7.** अनावेदक क्रमांक–02 के द्वारा अपने पक्ष समर्थन में अनावेदक साक्षी सिद्धार्थ टावरी (अना०सा०–01) का साक्ष्य प्रस्तुत किया है तथा दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में दाण्डिक प्रकरण में प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन प्रदर्श एन०ए०–01, प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श एन०ए०–02, रोजनामचा सान्हा प्रदर्श एन०ए०–03, आकस्मिक मृत्यु की सूचना पंजी की सत्यापित प्रति प्रदर्श एन०ए०–04, मर्ग इंटीमेशन प्रदर्श एन०ए०–05, जिला अस्पताल गौरेला पेण्ड्रा मरवाही से प्राप्त सूचना प्रदर्श एन०ए०–06, 07, नक्शा पंचायतनामा हेतु दी गई गवाहों को नोटिस प्रदर्श एन०ए०–08, नक्शा पंचायतनामा प्रदर्श एन०ए०–09,

शव परीक्षण आवेदन प्रदर्श एन०ए०–10, 11, शव परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श एन०ए०–12, कर्तव्य प्रमाण पत्र प्रदर्श एन०ए०–13, शव सुपुर्दनामा प्रदर्श एन०ए०–14, अपराध विवरण फार्म प्रदर्श एन०ए०–15, पुलिस कथन प्रदर्श एन०ए०–16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, गवाहों को उपस्थिति हेतु दी गई धारा 160 जाफौ का नोटिस प्रदर्श एन०ए०–23, धारा 91 द०प्र०सं० का नोटिस प्रदर्श एन०ए०–24, धारा 160 का नोटिस प्रदर्श एन०ए०–25, जप्ती पंचनामा प्रदर्श एन०ए०–26, संपत्ति जप्ती पत्रक प्रदर्श एन०ए०–27, 28, मोटर सायकल क्रमांक सीजी–31 ए–2241 का रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र प्रदर्श एन०ए०–29, आरसी कार्ड प्रदर्श एन०ए०–30, बीमा प्रमाण पत्र प्रदर्श एन०ए०–31, टैक्स इनवाइस प्रदर्श एन०ए०–32, रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र प्रदर्श एन०ए०–33, आर० सी० कार्ड की छायाप्रति प्रदर्श एन०ए०–34, ड्राईविंग लायसेंस प्रदर्श एन०ए०–35, बीमा प्रमाण पत्र प्रदर्श एन०ए०–36, मैकनिकल मुलाहिजा प्रदर्श एन०ए०–37, 38, अस्थाई सुपुर्द प्रदर्श एन०ए०–39, गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श एन०ए०–40, जमानतनामा प्रदर्श एन०ए०–41, सुपुर्दनामा आदेश प्रदर्श एन०ए०–42, शपथ पत्र प्रदर्श एन०ए०–43, विजय सिंह कंवर की आधार कार्ड की छायाप्रति प्रदर्श एन०ए०–44, बादल श्रीवास की आधार कार्ड की छायाप्रति प्रदर्श एन०ए०–45, मानिकराज के आधार कार्ड की छायाप्रति प्रदर्श एन०ए०–46 तक के दस्तावेज को प्रस्तुत किये हैं ।

8. उभयपक्ष के अभिवचनों/जवाब के आधार पर निम्नलिखित वाद–पश्न निर्मित किया गया है, उनके समक्ष निष्कर्ष निम्नानुसार अंकित हैः–

| क्र० | वाद–प्रश्न | निष्कर्ष |
|---|---|---|
| 1. | क्या अनावेदक क्रमांक–01 ने दुर्घटना दिनांक–27/09/2023 को समय 21:00 बजे, स्थान ग्राम–बालमपुर सब–स्टेशन के सामने मेनरोड, थाना–पसान, जिला–कोरबा (छ०ग०) क्षेत्रांतर्गत में वाहन मोटर सायकल पैशन क्रमांक CG–12 AZ–6934 को उपेक्षा एवं उतावलेपन से चलाते हुए मृतक को ठोकर मारकर एक्सीडेंट किया जिससे मृतक अजय कुमार कोल की मृत्यु कारित हुई? | **"प्रमाणित हुआ"** |
| 2. | क्या दुर्घटना दिनांक को अनावेदक क्रमांक–02 ने अनावेदक क्रमांक 01 से वाहन मोटर सायकल पैशन क्रमांक CG–12 AZ–6934 को बीमा शर्तों के उल्लंघन में परिचालन करवाया है? | **"प्रमाणित नहीं"** |
| 3. | क्या आवेदक, अनावेदकगण से क्षतिपूर्ति पाने के अधिकारी हैं, यदि हां तो किससे एवं कितना ? | **"अधिनिर्णय की कंडिका 32 के अनुसार "** |
| 4. | सहायता एवं व्यय ? | **दावा आंशिक रूप से स्वीकार ।** |

**–//वाद–विषय क्रमांक–01 का निष्कर्ष//–**

9. **आवेदिका अनीषा कोल (आ०सा०–01)** के परिसाक्ष्य से दर्शित होता है कि दिनांक 26/09/2023 को अनावेदक क्रमांक 01 बादल श्रीवास के

द्वारा अपने वाहन मोटर सायकल पैशन क्रमांक CG–12 AZ–6934 को उपेक्षा एवं लापरवाहीपूर्वक चलाकर उसके पति अजय कोल के मोटर सायकल को ठोकर मारकर एक्सीडेंट कर दिया । उक्त एक्सीडेंट से उपचार के दौरान उसके पति अजय कोल की मृत्यु हो गई है । आवेदक साक्षी अमृत प्रसाद कोल (आ०सा०–02) एवं आदित्य सेन (आ०सा०–03) द्वारा आवेदिका अनीषा कोल (आ०सा०–01) के कथनों का अक्षरशः समर्थन किया गया है ।

**10.** आवेदकगण के द्वारा दस्तावेज के रूप में अंतिम प्रतिवेदन प्रदर्श ए०–01, प्रथम सूचना पत्र प्रदर्श ए०–02, अकाल एवं आकस्मिक मृत्यु की सूचना प्रदर्श ए०–03, मर्ग इंटीमेशन प्रदर्श ए०–04, नक्शा पंचायतनामा प्रदर्श ए०–05, शव परीक्षण के लिए आवेदन प्रदर्श ए०–06, शव परीक्षण प्रतिवेदन प्रदर्श ए०–07, संपत्ति जप्ती पत्रक प्रदर्श ए०–08, 09, सुपुर्दनामा आदेश प्रदर्श ए०–10 प्रस्तुत किये हैं।

**11.** आवेदकगण, अनावेदक क्रमांक–02 की ओर से प्रतिपरीक्षण के दौरान यह स्वीकार किया है कि वह दुर्घटना होते हुए नहीं देखा है। अनावेदक की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने अपने तर्क के दौरान यह आपत्ति किया है कि आवेदकगण घटना होते हुये नहीं देखे है । विलंब से प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई है । अतः उनके कथनों के आधार पर अनावेदक क्रमांक 01 की उपेक्षा और लापरवाही प्रमाणित नहीं पायी जाती है । इसलिए क्षतिपूर्ति अदायगी के दायित्व से

उनमुक्त किये जाने का निवेदन किया गया है। आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अनावेदक क्रमांक–01 द्वारा एक्सीडेंट किये जाने के कारण उसके विरूद्ध थाना पसान में अपराध क्रमांक–16/2024 अंतर्गत धारा–279, 304ए का पंजीबद्ध किया गया था । इस प्रकार उपरोक्त दस्तावेजों से भी आवेदकगण के कथनों की संपुष्टि होती है ।

12. **अनावेदक साक्षी सिद्धार्थ टावरी (अना०सा०–01)** के परिसाक्ष्य से दर्शित होता है कि दुर्घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट 120 दिन के उपरांत थाना पसान में अत्यधिक विलंब से दर्ज कराई गई है । बीमित वाहन को मिथ्या रूप से सम्मिलित किया गया है । मैकेनिकल मुलाहिजा प्रदर्श एन० ए०–37 में बीमित वाहन का पीछे का भाग डैमेज होना वर्णित है जबकि प्रदर्श एन० ए०–38 के अनुसार दुर्घटनाग्रस्त मोटर सायकल ठीक हालत में होना वर्णित किया गया है । बीमित वाहन को पीछे से ठोकर मारा गया है । अतः बीमा कंपनी की क्षतिपूर्ति अदायगी हेतु कोई दायित्व नहीं है ।

13. न्यायदृष्टांत–***विमला देवी व अन्य विरूद्ध हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट कार्पोरेशन व अन्य, ए०आई०आर० 2009, पेज क्रमांक–2819*** में माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा यह अवधारित किया गया कि दावाकर्ता को मात्र संभावनाओं की प्रबलता की कसौटी पर अपने वाद को स्थापित करना होता है। युक्तियुक्त संदेह से परे का मान, लागू नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार

*न्यायदृष्टांतः–* ***राजस्थान स्टेट रोडवेज विरूद्ध नन्दकिशोर वगैरह, 2002(2) दु०मु०प्र० 366 (राजस्थान) में माननीय*** न्यायालय के द्वारा यह अवधारित किया गया है कि दाण्डिक मामले की सत्यप्रतिलिपि बिना किसी औपचारिक सबूत के साक्ष्य में ग्राह्य होती है ।

14. इसी प्रकार न्यायदृष्टांत–***यूनाईटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड विरूद्ध श्रीमती करूधा बाई एवं अन्य, 2006(2) दु०मु०प्र० 231(इलाहाबाद)*** में माननीय न्यायालय द्वारा प्रस्तुत उद्धरण के अनुसार दावा प्रकरण में साक्ष्य विधि का कठोरता से पालन नहीं किया जाना चाहिए। ऐसे मामलों में संक्षिप्त प्रक्रिया अपनायी जानी चाहिए । विलंब से प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराए जाने के संबंध में यह लेख है कि घटना का प्रथम सूचना रिपोर्ट में मर्ग क्रमांक 112/23 अंतर्गत धारा 184 दण्ड प्रक्रिया संहिता के जांच उपरांत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किया गया है । रोजनामचा सान्हा प्रदर्श ए०–03 के अनुसार दुर्घटना CG–12 AZ–6934 के चालक के लापरवाही के कारण होना लेख है । प्रदर्श ए० –05 की सूचना जिला अस्पताल से प्रदान की गई थी । उक्त समस्त तथ्य यह दर्शित करता है कि दुर्घटना मोटर सायकल क्रमांक CG–12 AZ–6934 के चालक के लापरवाही से हुई थी । अतः विलंब से प्रथम सूचना रिपोर्ट लेख किए जाने के आधार पर संपूर्ण घटना संदेहास्पद नहीं होती है ।

**15.** अनावेदक साक्षी ने प्रतिपरीक्षण की कंडिका 06 में यह स्वीकार किया है कि प्रदर्श एन० ए०–38 के दुर्घटनाग्रस्त वाहन के मैकेनिकल मुलाहिजा के पूर्व से मरम्मत किया जा चुका है, ऐसा लेख है। प्रदर्श एन०ए०–37 के मुलाहिजा रिपोर्ट के अनुसार घटना के पश्चात् अत्यंत विलंब से मैकेनिकल मुलाहिजा किया गया है। अतः इस तथ्य का लाभ अनावेदक क्रमांक 02 को प्रदान नहीं किया जा सकता है। उक्त न्यायदृष्टांतो एवं प्रस्तुत साक्ष्य के परिप्रेक्ष्य में अधिकरण यह पाता है कि आवेदक के साक्ष्य से तथा उसके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से यह प्रमाणित है कि अनावेदक क्रमांक–01 ने दुर्घटना दिनांक–27/09/2023 को समय 21:00 बजे, स्थान ग्राम–बालमपुर सब–स्टेशन के सामने मेनरोड, थाना–पसान, जिला–कोरबा (छ०ग०) क्षेत्रांतर्गत में वाहन मोटर सायकल पैशन क्रमांक CG–12 AZ–6934 को उपेक्षा एवं उतावलेपन से चलाते हुए मृतक को ठोकर मारकर एक्सीडेंट किया जिससे मृतक अजय कुमार कोल की मृत्यु कारित हुई। **अतः वाद–विषय क्रमांक–01 का निष्कर्ष "प्रमाणित हुआ" दिया जाता है।**

**//वाद–विषय क्रमांक–02 का निष्कर्ष//**

**16.** अनावेदक क्रमांक–02 ने अपने जवाबदावा में यह आपत्ति किया है कि अनावेदक क्रमांक 01 द्वारा बीमा शर्तों के उल्लघन में मोटर सायकल क्रमांक CG–12 AZ–6934 का चालन किया गया है। उपरोक्त कारण से बीमा पॉलिसी की शर्तों का उल्लंघन होने से यह अनावेदक, आवेदकगण को क्षतिपूर्ति का देनदार

नहीं है। इस तथ्य को साबित करने का भार अनावेदक क्रमांक–02 पर है। अनावेदक क्रमांक 02 के द्वारा स्वयं घटना कारित वाहन का बीमा प्रमाण पत्र प्रदर्श एन०ए०–31 एवं अनावेदक क्रमांक 01 का ड्राईविंग लायसेंस प्रदर्श एन०ए०–35 प्रस्तुत किया गया है । उक्त दस्तावेज प्रदर्श एन०ए०–31 के परिशीलन से यह दर्शित होता है कि मोटर सायकल क्रमांक CG–12 AZ–6934 का बीमा अवधि दिनांक 04/10/2019 समय 12:51:50 बजे से दिनांक 03/10/2024 समय मध्यरात्रि तक है ।

**17.** अनावेदक क्रमांक 01 का ड्राईविंग लायसेंस प्रदर्श एन०ए०–35 के परिशीलन से यह दर्शित होता है कि ड्राईविंग लायसेंस की वैधता दिनांक 13/03/2020 से दिनांक 08/07/2037 तक वैध है । उक्त प्रकार से यह स्पष्ट है कि घटना दिनांक को वाहन वैध रूप से बीमित है एवं वाहन चालक अनावेदक क्रमांक–01 बादल श्रीवास के पास वाहन चलाने का ड्रायविंग लाइसेंस है । वाहन चालक का ड्राईविंग लाईसेंस वैध है । इस प्रकार बीमा शर्तों के उल्लंघन के संबंध में अनावेदक क्रमांक–02 की ओर से कोई स्पष्टीकरणात्मक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है । अतः अनावेदक क्रमांक–02 यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि दुर्घटना दिनांक को अनावेदक क्रमांक–02 ने अनावेदक क्रमांक 01 से वाहन मोटर सायकल पैशन क्रमांक CG–12 AZ–6934 को बीमा शर्तों के उल्लंघन में

परिचालन करवाया है । **अतः वाद प्रश्न क्रमांक–02 का निष्कर्ष "प्रमाणित नहीं" में दिया जाता है ।**

## // वाद–विषय क्रमांक–03 का सकारण निष्कर्ष//

18. माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा विभिन्न न्यायदृष्टांतों में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 166 के अन्तर्गत दावाकर्ता को समुचित क्षतिपूर्ति राशि प्रदान किया जाना चाहिए, ऐसी क्षतिपूर्ति राशि प्रदान किया जाना चाहिए, ऐसी क्षतिपूर्ति ऋजु, साम्यिक एवं न्यायसंगत होनी चाहिए । क्षतिपूर्ति प्रदान करने का उद्देश्य दावाकर्ता को उसके परिवार के किसी सदस्य की हानि या शारीरिक क्षति के निवारण स्वरूप उसे न्यायसंगत प्रतिकर प्रदान करना चाहिए जिससे दावाकर्ता को हुई हानि का कुछ सीमा तक निवारण किया जा सके । यद्यपि ऐसी हानि की क्षतिपूर्ति धन के रूप में नही की जा सकती, परंतु फिर भी अधिकरण का यह प्रयास होना चाहिए कि दावाकर्ता को एक न्यायसंगत, ऋजु एवं साम्यिक प्रतिकर प्रदान किया जाए ।

19. वादप्रश्न क्रमांक–01 के निराकरण पश्चात् अधिकरण यह पाता है कि दुर्घटना के लिए अनावेदक क्रमांक–01 जिम्मेदार है। दुर्घटना दिनांक को अनावेदक क्रमांक–02 दुर्घटना कारित करने वाले वाहन मोटर सायकल पैशन क्रमांक CG–12 AZ–6934 पर क्षति के जोखिम का दायित्व वहन कर रहा था। अतः आवेदकगण अनावेदक क्रमांक–02 से क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के अधिकारी हैं।

20. **मृतक की आयु** –आवेदकगण की ओर प्रस्तुत दावा आवेदन में मृतक की आयु 28 वर्ष उल्लेखित है । दावा प्रकरण में संलग्न अकाल एवं आकस्मिक मृत्यु की सूचना पंजी प्रदर्श ए०–03, मर्ग इंटीमेशन प्रदर्श ए०–04 एवं शव परीक्षण प्रतिवेदन प्रदर्श ए०–07 में मृतक अजय कुमार की आयु 27 वर्ष होना उल्लेखित है । अनावेदकगण की ओर से आवेदक साक्षी के प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त दस्तावेज में उल्लेखित आयु को विवादस्पद नहीं किया गया है । अतः मृतक की आयु घटना दिनांक को 27 वर्ष नियत की जाती है ।

21. **मृतक का कार्य एवं आय–** आवेदकगण के परिसाक्ष्य से दर्शित होता है कि अजय कोल बोरिंग मशीन मजदूरी का कार्य करते थे और 15,000/–(पंद्रह हजार) रूपये प्रतिमाह की आय अर्जित करते थे, जिसकी कमाई से आवेदकगण का भरणपोषण होता था । अनावेदक क्रमांक–02 की ओर से प्रतिपरीक्षण के दौरान यह सुझाव स्वीकार किया है कि मृतक की आय प्रतिमाह 15,000/–रूपये की दर से 1,80,000/– रूपए एवं 4,50,000/– रूपए वार्षिक आय की आमदनी के संबंध में कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है । इस प्रकार आवेदकगण पूर्ण रूप से मृतक के आमदनी पर आश्रित थे ।

22. अब यह विचार किया जाना है कि मृत्यु पूर्व मृतक की आय कितनी होग़ी? मृतक का किसी विशेष क्षेत्र में कुशल रूप से कार्य किया जाता था, इस संबंध में कोई स्पष्ट साक्ष्य प्रस्तुत नहीं है । अतः आवेदकगण अजय कुमार कोल

को अकुशल श्रेणी का श्रमिक माना जाना उचित दर्शित होता है। कार्यालय कलेक्टर एवं जिला गौरेला पेण्ड्रा मरवाही, (छ०ग०) के आदेश क्रमांक–1625/वित्त–1/2023 गौरेला पेण्ड्रा मरवाही दिनांक–08/05/2023 के अनुसार श्रमायुक्त कार्यालय छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर की अधिसूचना क्रमांक/आठ/न्यू०वे०/श्र०आ०/2023/1969, दिनांक–24/03/2023 एवं वित्त विभाग के पत्र क्रमांक–303/आर/577/92/नि–5/4 दिनांक–30 जून 1992 तथा छत्तीसगढ़ राज्य में प्रभावशील न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 की धारा–2(घ) में निहित प्रावधान एवं छ०ग० वित्त संहिता भाग–2 के परिशिष्ट–6 नियम 43 में निहित शक्तियों एवं छत्तीसगढ़ राजपत्र दिनांक–28 अप्रैल 2017 के अनुसार आकस्मिक निधि से वेतन पाने वाले शासकीय दैनिक वेतनभोगी श्रमिकों एवं कर्मचारियों के लिए दैनिक वेतन की दरें अनुसूची "ग" के अनुसार जिला गौरेला पेण्ड्रा मरवाही के लिए दिनांक–01/04/2023 से 30/09/2023 तक प्रभावशील महंगाई भत्तों को सम्मिलित करते हुए अकुशल श्रेणी के मजदूर हेतु प्रतिमाह न्यूनतम कुल वेतन **9,960/–**रूपये नियत की गयी है ।

**23.** इस प्रकरण में घटना दिनांक–27/09/2023 है। अतः अकुशल श्रेणी के न्यूनतम वेतन के रूप में मृतक की प्रतिमाह आय **9,960/–रूपये** नियत की जाती है। इस प्रकार मृतक की वार्षिक आय **9,960 x 12 = 1,19,520/–(एक लाख उन्नीस हजार पाँच सौ बीस) रूपये** नियत किया जाता है। अतः मृतक

की वार्षिक आय **1,19,520/–(एक लाख उन्नीस हजार पाँच सौ बीस) रूपये नियत की जाती है ।**

24. **<u>आश्रितता–</u>** आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन से दर्शित होता है कि मृतक अजय कोल आवेदक क्रमांक 01 के पति, व आवेदन क्रमांक 02 व 03 के पुत्र थे। मृतक की आय पर प्रत्यक्ष रूप से पत्नी व माता–पिता की आश्रितता दर्शित होती है । अतः मृतक पर 03 व्यक्ति का आश्रित होना प्रमाणित पाया जाता है । मृतक के आश्रित होने के आधार पर आवेदकगण क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के अधिकारी हैं । मृतक पर आश्रित/विधिक प्रतिनिधियों की संख्या 03 हैं ।

25. **<u>श्रीमती सरला वर्मा और अन्य विरूद्ध दिल्ली ट्रांसपोर्ट कार्पोरेशन और अन्य (2009)6 SCC 161 माननीय सर्वोच्च न्यायालय के संवैधानिक पीठ द्वारा अभिनिर्धारित सिद्धांत</u>** के द्वारा दुर्घटना के समय मृतक अजय कुमार कोल की आयु 27 वर्ष होने से इस प्रकरण में 26 से 30 आयु समूह के व्यक्ति की वाहन दुर्घटना में मृत्यु होने की दशा में उसकी आय में वृद्धि हेतु 17 का गुणांक लागू किया जायेगा तथा मृतक अजय कुमार के वार्षिक आय में कुल 03 व्यक्ति आश्रित होना मानते हुए 1/3 अंश की मृतक के व्यक्तिगत खर्चों की कटौती कर प्रतिकर का निर्धारण किया जाता है ।

26. अतः मृतक अजय कुमार कोल की वार्षिक आय **1,19,520/–(एक लाख उन्नीस हजार पाँच सौ बीस)** रूपये में 1/3 भाग की कटौती किये जाने

पर **39,840/–रूपये** में से मृतक के खान–पान एवं व्यक्तिगत खर्च कम किये जाने पर आश्रितता की वार्षिक हानि **39,840/–रूपये** होगी और उसमें 17 का गुणांक लागू किये जाने पर **39,840 X 17= 6,77,280/– (छः लाख ससत्तर हजार दो सौ अस्सी) रूपये** है । अतः आवेदकगण आश्रितता आय की हानि मद में कुल **6,77,280/– (छः लाख ससत्तर हजार दो सौ अस्सी) रूपये** क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के अधिकारी हैं ।

27. **माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायदृष्टांत विशेष अनुमति याचिका (सिविल) क्रमांक**–25590/2014 **निर्णय दिनांक**–31/10/2017–2017 **ए०सी०जे०** 2700 **नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड विरूद्ध प्रणय शेट्टी में** माननीय सर्वोच्च न्यायालय के संवैधानिक पीठ द्वारा अभिनिर्धारित सिद्धांत के अनुसार फ्यूचर प्रॉस्पेक्टस अर्थात भविष्य की संभावनाओं में सिद्धांत प्रतिपादित किये गये हैं, जिसमें स्थायी नौकरी में होने एवं स्वनियोजित व्यक्तियों के पृथक्–पृथक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है ।

28. इसके अनुसार मृतक स्वनियोजित या निश्चित वेतन पर हो तथा उसकी आयु दुर्घटना/मृत्यु के समय **मृतक की उम्र–26 से 30 वर्ष के मध्य हो** उसकी वास्तविक आय में फ्यूचर प्रॉस्पेक्टस मद वृद्धि 40 प्रतिशत् होगी । अतः मृतक अजय कुमार कोल की कुल आय **6,77,280/– (छः लाख ससत्तर हजार दो सौ अस्सी)** रूपये का 40 प्रतिशत् राशि फ्यूचर प्रास्पेक्टस मद में दिलाया

जाना युक्तियुक्त दर्शित होता है । इस प्रकार **2,70,912/– (दो लाख सत्तर हजार नौ सौ बारह)** रूपये फ्यूचर प्रास्पेक्टस मद में नियत किया जाता है ।

29. **माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायदृष्टांत विशेष अनुमति याचिका (सिविल) क्रमांक 25590/2014 निर्णय दिनांक–31/10/2017 –2017, ए०सी०जे० 2700 नेशनल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड विरूद्ध प्रणय शेट्टी में** माननीच सर्वोच्च न्यायालय के संवैधानिक पीठ द्वारा अभिनिर्धारित सिद्धांत अनुसार मृतक के आश्रितों को संपदा की हानि में 15,000/–रूपये मृतक अंत्येष्टी मद में 15,000/–रूपये, आवेदक क्रमांक 02 एवं 03 को मातृ–पितृ सुख एवं filial loss of consortium, love and care के मद में 40,000/– 40,000/– रूपये एवं आवेदक क्रमांक 01 को सहचर्य सुख की हानि मद में 40,000/– रूपए क्षतिपूर्ति दिया जाना युक्तियुक्त एवं पर्याप्त होगा ।

30. उक्त अनुसार क्षतिपूर्ति राशि तालिका में दर्शित अनुसार आवेदकगण को दिलाया जाना उचित होगा ।

| क्रमांक | मद | संगणना |
|---|---|---|
| 1. | आश्रितता की आय की हानि मद में | 6,77,280/– |
| 2. | फ्यूचर प्रास्पेक्टस मद में | 2,70,912/– |
| 3. | आश्रितों को संपदा की हानि के मद में | 15000/– |
| 4. | मृतक की अंत्येष्टी मद में | 15000/– |
| 5. | आवेदक को पितृ सुख एवं सहचर्य सुख filial loss of consortium, love and care के मद में | 40,000 + 40,000 + 40,000 = |

| | | |
|---|---|---|
| | | 1,20,000/– |
| | **कुल क्षतिपूर्ति राशि** | **10,98,192/–रूपये (दस लाख अन्ठानवे हजार एक सौ ब्यानबे)** |

31. **माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा अमरेश कुमारी विरूद्ध निरंजन लाल जगदीश प्रसाद जैन, 2010 ए०सी०जे०–551, जितेन्द्र त्रिवेदी विरूद्ध कसम दाउद कुंभार 2015 ए०सी०जे० 708 एवं न्यायदृष्टांत मोहिन्दर कौर विरूद्ध हीरानंद सिन्धी, 2017 ए०सी०जे०–2123** में प्रतिपादित किया गया है कि ब्याज 9 प्रतिशत की दर से दिलाया जाना चाहिए । अतः आवेदकगण को कुल क्षतिपूर्ति राशि **10,98,192/–रूपये (दस लाख अन्ठानवे हजार एक सौ ब्यानबे) रूपये पर 09** प्रतिशत वार्षिक दर से साधारण ब्याज भी आवेदन प्रस्तुति दिनांक–27/03/2024 से अदायगी दिनांक तक देय होगा ।

**प्रतिकर अदायगी का दायित्व–**

**32.** प्रकरण में घटना दिनांक–27/09/2023 को अनावेदक क्रमांक–02 का बीमा शर्तों के अधीन जोखिम के अधीन था । अतः वाद प्रश्न क्रमांक–03 के संबंध में यह निष्कर्ष लेख किया जाता है कि अनावेदक क्रमांक–02, आवेदकगण को कुल क्षतिपूर्ति **राशि 10,98,192/–रूपये (दस लाख अन्ठानवे हजार एक सौ ब्यानबे) रूपये** आवेदन प्रस्तुति दिनांक–27/03/2024 से

क्षतिपूर्ति अदायगी दिनांक तक 09 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर से प्रदान करेगा ।

## –//वाद प्रश्न क्रमांक–04 (सहायता एवं व्यय)//–

**33.** उपरोक्त समस्त वाद प्रश्न के साक्ष्य के विश्लेषण निकाले गये निष्कर्षों के आधार पर यह अधिकरण पाती है कि आवेदकगण अपना दावा पूर्णतः प्रमाणित करने में सफल रहे हैं। अतः आवेदकगण को क्षतिपूर्ति राशि के भुगतान हेतु अनावेदक क्रमांक–02 बीमा कंपनी उत्तरदायी है । आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत क्षतिपूर्ति दावा अंतर्गत **धारा–166 मोटर यान अधिनियम, 1988** प्रमाणित पाया जाकर **स्वीकार** किया जाता है। आवेदकगण के पक्ष में अनावेदक क्रमांक–02 के विरूद्ध निम्नुसार अधिनिर्णय पारित किया जाता है–

**1–** अनावेदक क्रमांक–02 बीमा कंपनी आवेदकगण को क्षतिपूर्ति के रूप में कुल राशि **10,98,192/–रूपये (दस लाख अन्ठानवे हजार एक सौ ब्यानबे)** अधिनिर्णय दिनांक–10/08/2026 से 30 दिन के अवधि के भीतर भुगतान करेगी।

**2–** यदि अंतरिम क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान हुआ हो तो उसका समायोजन अधिनिर्णय की राशि में किया जायेगा ।

3– आवेदकगण को उक्त क्षतिपूर्ति राशि में 09 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज भी आवेदन प्रस्तुति दिनांक–27/03/2024 से अदायगी दिनांक तक देय होगा ।

4– अधिनिर्णय राशि **10,98,192/–रूपये (दस लाख अन्ठानवे हजार एक सौ ब्यानबे) रूपये इस अधिकरण के खाते में जमा होने पर उसमें से–**

**ए– मृतक अजय कुमार कोल के पत्नी आवेदक क्रमांक 01 अनीषा कोल को 5,00,000/–रूपये (पाँच लाख रूपए) रूपये देय होगा जिसमें से 3,00,000/–रूपये (तीन लाख रूपए) रूपये तीन वर्ष की कालावधि के लिए किसी राष्ट्रीयकृत बैंक की सावधि खाते में विनियोजित किया जावेगा जो परिपक्वता अवधि के उपरांत देय होगा तथा शेष राशि उन्हें एकाउंट पे चेक द्वारा तत्काल भुगतान किया जावेगा ।**

**बी– मृतक अजय कुमार कोल के माता–पिता आवेदक क्रमांक 02 एवं 03 को 5,00,000/–रूपये (पाँच लाख रूपए) रूपये संयुक्त रूप से देय होगा जिसमें से 3,00,000/–रूपये (तीन लाख रूपए) रूपये संयुक्त रूप से तीन वर्ष की कालावधि के लिए किसी राष्ट्रीयकृत बैंक की**

**सावधि खाते में विनियोजित किया जावेगा जो परिपक्वता अवधि के उपरांत देय होगा तथा शेष राशि उन्हें एकाउंट पे चेक द्वारा तत्काल भुगतान किया जावेगा ।**

**सी–शेष संपूर्ण राशि जिसमें वाद व्यय और ब्याज शामिल है, उसे आवेदक क्रमांक 02 अमृत प्रसाद कोल को एकाउंट पे चेक द्वारा तत्काल भुगतान किया जायेगा ।**

5– अनावेदक क्रमांक–02 अपने स्वयं का तथा आवेदकगण का वाद व्यय वहन करेगा। अनावेदक क्रमांक–01 अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेंगे ।

6– आवेदकगण का अधिवक्ता शुल्क 3,000/–(तीन हजार रूपये) निर्धारित किया जाता है ।

**तद्नुसार व्यय तालिका बनायी जावे ।**

**दिनांक–10/08/2026**
**स्थान–पेण्ड्रारोड, बिलासपुर (छ०ग०)**

**अधिनिर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित एवं हस्ताक्षरित कर पारित किया गया ।**

**सही/–**
**(श्रीमती ज्योति अग्रवाल)**
**सदस्य**
**द्वितीय अति०मो०दु०दावा अधिकरण**
**पेण्ड्रारोड जिला बिलासपुर (छ.ग.)**

**मेरे निदेशन पर टंकित किया ।**

**सही/–**
**(श्रीमती ज्योति अग्रवाल)**
**सदस्य**
**द्वितीय अति०मो०दु०दावा अधिकरण**
**पेण्ड्रारोड जिला बिलासपुर (छ.ग.)**

मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण–16/2024
CNR NO.–CGBI110003972024

## –//व्यय–तालिका//–

| क्र० | विवरण | आवेदक | अनावेदकगण |
|---|---|---|---|
| 1 | आवेदन पर शुल्क | 40.00 | – |
| 2 | आवदेन पत्र/शपथ पत्र | 25.00 | 40.00 |
| 3 | वकालतनामा | 05.00 | 10.00 |
| 4 | प्रदर्श पर शुल्क | – | – |
| 5 | अधिवक्ता शुल्क प्रमाण पत्र | – | – |
| 6 | प्रोसेस फीस | 17.00 | – |
| 7 | प्रकाशन पर शुल्क | – | – |
| | **योगः–** | **87.00** | **50.00** |

**दिनांक–10/08/2026**
**स्थान–पेण्ड्रारोड, बिलासपुर (छ०ग०)**

JYOTI AGRAWAL
Digitally signed by JYOTI AGRAWAL

**सही/–**
**(श्रीमती ज्योति अग्रवाल)**
**सदस्य**
**द्वितीय अति०मो०दु०दावा अधिकरण**
**पेण्ड्रारोड जिला बिलासपुर (छ.ग.)**